भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAWAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

Dated......................................
दिनांक: 17.04.2013

सं. सी-6/2011-एमपीलैड्स (भाग-II)

सेवा में,

1. आयुक्त,
   कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगरनिगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

**विषय: सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं को सहायता प्रदान करना**

महोदय,

सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं को सहायता का प्रावधान एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.37 और 3.37.1 के द्वारा अधिशासित होता है । यह निर्णय लिया गया है कि पैरा 3.37 और 3.37.1 में किए गए प्रावधान को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :-

> "3.37 **सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं को सहायता प्रदान करना:** सांसद उन सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं को अपनी एमपीलैड्स निधियों की सिफारिश कर सकते हैं जो राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं और जिन्हें स्कूलों के मामले में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तथा कॉलेजों के मामले में किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो तथा जो छात्रों से वाणिज्यिक शुल्क नहीं ले रहे हों । इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं को एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के तहत अनुमत्य सभी मदों के लिए एमपीलैड्स निधियां पाने की अनुमति होगी ।"
>
> "3.37.1 किसी न्यास/सोसाइटी द्वारा संचालित कोई सहायताप्राप्त शिक्षण संस्था एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अंतर्गत न्यासों/ सोसाइटियों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के तहत कवर की जाएगी ।"

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(डी. साईबबा)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इसे एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करें ।